

R

क
स
I/d
fay

30/11 पञ्चावली पेश हुई। वारिष्ठा व वहीन वाली
उपासित। वारिष्ठा ने एतु प्रत्यक्ष बाधत दावा
विज्ञा करने पेश किया। वारिष्ठा व वहीन वाली
को बुला गया एवं पञ्चावली का हलफोडन
किया गया। वारिष्ठा के अनुबोध पर दावा
वारिष्ठा विज्ञा की अनुमति के साथ वारिष्ठा
किया जाता है। पञ्चावली केसल्य शुभ होना
सम्भर से कम होना दावा दाखिल हो

R

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकण्ठान (सीकर)